कार्यालय : जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू

नया समाहरणालय परिसर, ब्लाक -c मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड) 822101 Email - deo.palamu@gmail.com

पत्रांक 1776 दिनांक 19.12.19

प्रेषक

जिला शिक्षा पदाधिकारी
पलामू

19/12/19

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमंडल

विषय : मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत सदर अंचल मेदिनीनगर के ग्राम पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु 9.71 हेक्टेयर वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव |

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह - कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड , झारखण्ड रांची द्वारा लगाए गए शर्त संख्या 04 में " C.A. हेतु चयनित गैर वनभूमि का ब्यौरा प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है" का उल्लेख किया गया है |

इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था जवाहर नवोदय विद्यालय के अधीन है | अतएव इस प्रस्ताव में C.A. लैंड की आवश्यकता नहीं है |

महोदय यदि फिर भी C.A. लैंड की आवश्यकता हो तो अनुरोध है कि C.A. हेतु वन विभाग ही दुगुने अवकृष्ट वनभूमि (DOUBLE DEGRADED) उपलब्ध करा दे | वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर C.A. हेतु आवश्यक राशि जमा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी बाध्य होंगे |

PRINCIPAL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
DALTONGANJ (FALAMAU)

19.12.19
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पलामू

जिला शिक्षा पदाधिकारी
पलामू

Scanned by CamScanner

जवाहर नवोदय विद्यालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार

जवाहर नवोदय विद्यालय
नावाटोली, डालटनगंज
पलामू – 822101
(झारखण्ड)
फोन : 06562–222456

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Nawatoli, Daltonganj
Palamau-822101
(Jharkhand)
Ph. : 06562-222456
Fax. : 06562-222456

Ref. No. F.N./P.L./JNVP/2019-20/ 422

Date 19/12/2019

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमंडल

विषय : मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत सदर अंचल मेदिनीनगर के ग्राम पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु 9.71 हेक्टेयर वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव ।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड , झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1005 दिनांक 31.10.2017 एवं आपका पत्रांक 5840 दिनांक 11.11.2017 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु 9.71 हेक्टेयर वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव में पायी गयी सात बिन्दुओं का त्रुटि निराकरण निम्नवत है -

1. प्रस्ताव के साथ Geo-reference digital plan in shape file संलग्न ।
2. प्रस्ताव के साथ N.P.V. एवं C.A. हेतु आवश्यक राशि जमा करने हेतु वचनपत्र (Undertaking) संलग्न ।
3. जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु सदर अंचल में अन्य जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा पोखराहा खुर्द पंचायत में जमीन उपलब्ध कराया गया ।
4. प्रस्ताव के साथ वन विभाग द्वारा दुगुने अवकृष्ट (DOUBLE DEGRADED) वनभूमि उपलब्ध करा देने पर C.A. हेतु आवश्यक राशि जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न ।
5. प्रस्ताव के साथ झारखण्ड सरकार , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं नवोदय विद्यालय समिति के आदेश की प्रति संलग्न ।
6. प्रस्ताव के साथ Lay Out Plan की प्रति संलग्न ।
7. जवाहर नवोदय विद्यालय का अन्यत्र निर्माण नहीं कराया गया था बल्कि अन्यत्र भूमि की खोज की जा रही थी किन्तु अन्यत्र उपयुक्त भूमि नहीं मिल सकी और अंततः पुनः पोखराहा खुर्द में ही भूमि चयनित की गई । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 2165 दिनांक 25.08.2019 के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है ।

महोदय प्रस्ताव से सम्बंधित त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है अतः आपसे निवेदन है इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए ।

सधन्यवाद

विश्वासभाजन

(मो.नईम)
प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय पलामू-1

PRINCIPAL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
DALTONGANJ (PALAMAU)

संलग्नक : उपर्युक्त 8 प्रति

Scanned by CamScanner